

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 488/245/वि/नि/चार/04

रायपुर, दिनांक 28/05/2004

प्रति,


शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

विषय :पेंशन नियम में संशोधन संबंधी अधिसूचना ।

संदर्भ : वित्त विभाग का अधिसूचना क्रमांक 487/245/वि/नि/चार/04, दिनांक 28.5.2004

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 47 के संशोधन की अधिसूचना की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।  
संलग्न: एक



(एस.के. चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Government of Chhattisgarh  
Department of Finance and Planning  
Mantralaya  
Dau Kalyan Singh Bhavan, raipur

**NOTIFICATION**

**Raipur, Dated:28.05.2004**


No.487/245/F/R/IV/04- In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes following further amendments in the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely :-

**AMENDMENT**

In Rule 47: -

- (i) for the existing sub clause (i) of clause (b) of the proviso to sub-rule(6), the following shall be substituted, namely :-
  - (i) the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him / her ceases to be eligible.
- (ii) sub clause (ii) of clause (b) of the proviso to sub rule (6) shall be deleted.
- (iii) clause (3) of sub-rule 8 shall be deleted.

**By order and in the name of  
the  
Governor of Chhattisgarh**



**(Satish Pandey)  
Deputy Secretary  
Government of Chhattisgarh  
Finance Department**

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
  3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
  4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
  5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
  7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
  8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, को सूचनार्थ ।
  9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर ।
  10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
  11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
  12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
  13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
  14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
  15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
  16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
  17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
  18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
  19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
  20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
  21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), को वित्त विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के. चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग